

:: आदेश ::

क्रमांक 1596 / जि.पं./ शिक्षा / 2018

जांजगीर, दिनांक 17/07/2018

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-6-36/पंचायत/22-2/2013 रायपुर दिनांक 17.05.2013 के परिपालन में जिला पंचायत/जनपद पंचायतों द्वारा नियुक्त जिला जांजगीर-चांपा में कार्यरत 08 (आठ) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (प.) संवर्ग के निम्न शिक्षक(प) को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान रु. 9300-34800-4200 स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त वेतनमान पर उन्हें शासकीय शिक्षकों के समतुल्य महंगाई भत्ते की पात्रता होगी।

स. क्र.	शिक्षक (प.)/व्यायाम शिक्षक (प) का नाम	वर्तमान पदस्थ विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	कार्यभार ग्रहण तिथि	शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
जेजेपुर							
01	श्री लीलाधर सिंह छुवे	शा.पू.मा.वि बोईरडीह	जेजेपुर	एम.एस.सी	डी.एड	28.06.2010	28.06.2018
02	श्रीमती सीमा कुमार रावे	शा.पू.मा.वि क कोटेशर	जेजेपुर	एम.ए	डी.एड	28.06.2010	28.06.2018
03	श्री सियाराम चन्दा	शा.पू.मा.वि कचदा	जेजेपुर	एम.एस.सी	बी.एड	25.06.2010	25.06.2018
04	श्री इन्द्रकुमार खुट्टिधारे	शा.पू.मा.वि हरदीडीह	जेजेपुर	एम.एस.सी	बी.एड	25.06.2010	25.06.2018
05	श्री येकानंद रावे	शा.पू.मा.वि क. हसीद	जेजेपुर	एम.ए	डी.एड	29.06.2010	29.06.2018
06	श्रीमती प्रेमलता चन्दा	शा.पू.मा.वि बेलादुला	जेजेपुर	एम.ए	डी.एड	25.06.2010	25.06.2018
07	श्री धरमदास चन्दा	शा.पू.मा.वि डोटना	जेजेपुर	एम.ए	डी.एड	26.06.2010	26.06.2018
08	श्री मनोज कुमार साहू	शा.पू.मा.वि डोटना	जेजेपुर	बी.एस.सी	बी.एड	28.06.2010	28.06.2018
09	श्री अर्जुन कुमार खुटे	शा.पू.मा.वि परसदा	जेजेपुर	बी.ए	डी.एड	28.06.2010	28.06.2018
10	श्री लक्ष्मीप्रसाद निषाद	शा.पू.मा.वि परसदा	जेजेपुर	बी.एस.सी	बी.एड	29.06.2010	29.06.2018
11	श्री शरण सिंह पैकरा	शा.पू.मा.वि राममाठा टठारी	जेजेपुर	एम.ए	डी.एड	28.06.2010	28.06.2018
12	श्री घनश्याम सिंह चन्दा	शा.पू.मा.वि मुचकुलिया	जेजेपुर	एम.एस.सी	बी.एड	25.06.2010	25.06.2018
13	श्री महेन्द्र कुमार खुटे	शा.पू.मा.वि मनेतरा	जेजेपुर	बी.ए	डी.एड	25.06.2010	25.06.2018
14	श्री बिलफेड एकका	शा.पू.मा.वि बरौ	जेजेपुर	एम.ए	बी.एड	28.06.2010	28.06.2018
15	श्री पवन कुमार जयसवाल	शा.पू.मा.वि कैथा	जेजेपुर	एम.ए	बी.एड	28.06.2010	28.06.2018
16	श्री नवीन जगजान	शा.पू.मा.वि कैथा	जेजेपुर	बी.एस.सी	बी.एड	28.06.2010	28.06.2018
17	श्रीमती सरस्वती सिंह सिदार	शा.पू.मा.वि दतीद	जेजेपुर	एम.एस.सी	बी.एड	28.06.2010	28.06.2018
18	श्री लम्बोदर बास महंत	शा.पू.मा.वि हसीद	जेजेपुर	बी.एस.सी	बी.एड	28.06.2010	28.06.2018
19	श्री राजय कुमार तांजय	शा.पू.मा.वि घमनी	जेजेपुर	बी.ए	डी.एड	26.06.2010	26.06.2018
20	श्री मनोहर लहरे	शा.पू.मा.वि जमोदा	जेजेपुर	एम.ए	डी.एड	25.06.2010	25.06.2018
बलीवा							
01	श्री शत्रुघ्न लाल बजारे	शा.पू.मा.वि अंगारखार	बलीवा	एम.ए	बी.एड	25.06.2010	25.06.2018
बन्हीडीह							
01	प्रवीण कुमार यादव	शा.उ.मा.वि बिरौ	बन्हीडीह	एम.ए	बी.पी.एड	28.06.2010	28.06.2018
02	श्रीमती रश्मि तिवारी	शा.पू.मा.वि बिरौ	बन्हीडीह	बी.एस.सी	बी.एड	25.06.2010	25.06.2018

पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण 08 (आठ) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की अवधि को आधार मानकर किया गया है। इन्हें प्रत्येक वर्ष जुलाई में वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जायेगी।

(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

जांजगीर, दिनांक 13 / 07 / 2018

पृ.क्र. / 1597 / जि.पं. / शिक्षा / 2018

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, पंचायत संचालनालय, महानदी खण्ड परिसर रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक जिला सक्ती जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर को सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ।
07. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिक्षक (पं.) का वेतन निर्धारण करके पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा इसका पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें। पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण एवं भुगतान के समय संबंधित शिक्षक (पं.) संवर्ग से वचन पत्र (Undertaking) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
08. संबंधित श्री/श्रीमती को सूचनार्थ/पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक 1584 / जि.पं./ शिक्षा / 2018

जांजगीर, दिनांक 16/07/2018

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/288/शिक्षा/जि.पं./स्था./2017 दिनांक 25.01.2017 द्वारा ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग जो बी.एड/डी.एड नहीं है एवं उनकी कुल सेवा अवधि 08 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान की पात्रता के संबंध में पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर से मार्गदर्शन चाहा गया था।

आयुक्त सह संचालक पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर ने पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/70 दिनांक 08.03.2017 द्वारा सूचित किया है कि सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को जब वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है और उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की जा सकती है तो उनकी सेवा 08 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में उन्हें शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।

इस जिले के निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग ने इस संबंध में मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में याचिकाए दायर की है। मान.उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरणों में दिनांक 03.11.2017 को यह निर्णय पारित किया है कि यदि संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की नियुक्ति 2007 भर्ती नियम के तहत हुई है और जो डी.एड/बी.एड नहीं है अगर उन्होंने 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है तो उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान की पात्रता है।

अतः मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का (वेतनमान रूपये 5300-150-8300) जिन्होंने 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं वे बी.एड/डी.एड उत्तीर्ण नहीं है, उन शिक्षक (पं.) संवर्ग के निम्न व्याख्याता (प) को सारणी के कॉलम नम्बर 08 में दर्शित तिथि से समतुल्य वेतनमान रु. 9300-34800+4300 स्वीकृत किया जाता है।

पंचायत संचालनालय छ.ग. नया रायपुर द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के नॉन बी.एड (अप्रशिक्षित) शिक्षक पंचायत एवं व्याख्याता पंचायत कर्मचारियों के निम्न पद से उच्च पद पर वह समान से समान पद पर नियुक्त होने पर समतुल्य वेतनमान पर लाभ दिये जाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 4271/2017 एवं अन्य विभिन्न प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की विरुद्ध छ.ग. शासन विधि विभाग की अनुमति से राज्य शासन द्वारा डी.बी में अपील किया गया है। प्रकरण द्वितीय अपील के न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।


क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	पदनाम	पदस्थापना का स्थान	विकासखण्ड का नाम	नियुक्ति तिथि	कार्यभार ग्रहण करने तिथि	08 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने की तिथि	स्वीकृत वेतनमान	समतुल्य
01	02	03	04	05		06	07	08	09	
01	4407/2018	श्री नारायण प्रसाद देवांगन	व्या (पं)	शा.उ.मा.वि खिलसोरा	(सक्ती) देवरा	17.07.08	30.07.08	30.07.2016	9300-34800+4300	
02	5355/2016	श्री शिव कुमार कहरा	व्या (पं)	शा.उ.मा.वि खिलसोरा	बलौदा	29.09.08	03.10.08	03.10.2016	9300-34800+4300	

पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण 08 (आठ) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की अवधि को आधार मानकर किया गया है। इन्हें प्रत्येक वर्ष जुलाई में वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जायेगी।

(अर्जीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, पंचायत संचालनालय, महानदी खण्ड परिसर रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर/शैक्षणिक जिला सक्ती जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर को सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ।
07. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिक्षक (पं.) का वेतन निर्धारण करके पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा इसका पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें।
पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण एवं भुगतान के समय संबंधित शिक्षक (पं.) संवर्ग से वचन पत्र (Undertaking) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
08. संबंधित श्री/श्रीमती को सूचनार्थ/पालनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक / 1582 / शिक्षा / स्था. / जि.प. / 2018

जांजगीर, दिनांक 16 / 07 / 2018

छ.ग.शासन पंचा. / पंचाविवि / 22-2016 / 227 नया रायपुर दिनांक 23.04.2016 मे यह निर्देश दिये गये थे कि जिन शिक्षक (प) संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा शिक्षक (प) संवर्ग के निम्न पद पर रहते हुए नियोक्ता (जिला/जनपद) से लिखित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उच्च पद पर शिक्षक (प) संवर्ग पर चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। उसकी सेवा अवधि की गणना निम्न पद (प्रथम नियुक्ति) पर कार्यभार ग्रहण तिथि से की जाये।

इस जिले के कतिपय शिक्षक (पंचायत) द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को निम्न पद से उच्च पद का पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का आदेश निरस्त करने के कारण उनके द्वारा मान.उच्च न्यायालय छ.ग.बिलासपुर में याचिकाएँ दायर की गई थी। मान.उच्च.न्यायालय छ.ग.बिलासपुर द्वारा उक्त प्रकरणों में दिनांक 28.11.2017 को निर्णय पारित कर छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/पंचायत/22/2016/227/दिनांक 23.04.2016 को निरस्त किया है। अतः मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2017 के अनुपालन में निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने उपरांत उनके नाम के समक्ष कॉलम 08 में उल्लेखित तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 9300-34800+4300/9300-34800+4200 दिये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाता है। यह वरिष्ठता मात्र वेतन निर्धारण हेतु मान्य होगी।

पंचायत, संचालनालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के नॉन बी. एड (अप्रशिक्षित) शिक्षक (पंचायत) एवं व्याख्याता (पंचायत) कर्मचारियों का निम्न से उच्च पद लाभ दिये जाने के संबंध में मान.उच्च.न्यायालय में प्र.क्र. डब्ल्यू.पी.एस 4271/2017 एवं अन्य विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं इसी प्रकार मान.उच्च.न्यायालय के प्रकरण डब्ल्यू.पी.एस. 2530/2017 एवं अन्य विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरुद्ध छ.ग.शासन विधि विभाग के अनुमति से राज्य शासन द्वारा डी.बी. में अपील प्रस्तुत की गयी है।

अतः उक्त आदेश डी.बी. में दायर अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

क्र.	शिक्षक (प) संवर्ग के कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यरत संस्था का नाम	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित	विकासखण्ड का नाम	प्रथम पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्रथम नियुक्ति उपरांत कार्यभार ग्रहण तिथि से 08 वर्ष	पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800+4300 / 9300-34800+4200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती ममता लम्बोली	व्या.(प)	शा.उ.मा.वि. गुणकुलिया	बी.एड.	जैजैपुर	17-01-2007	17-11-2011	17-01-2015	9300-34800+4300
2	श्री राजेश कुमार राठौर	शि.(प)	शा.पू.मा.वि. लहंगा	डी.एड.	सक्ती	01-05-2005	28-11-2007	01-05-2013	9300-34800+4200
3	श्री सेवक राम राठौर	व्या.(प)	शा.हाईस्कूल मुडपार (ब.)	बी.एड.	पामगढ़	03-10-2008	05-02-2013	03-10-2016	9300-34800+4300
4	श्रीमती अमिता खाका	व्या.(प)	शा.उ.मा.वि. मसनियाकला	डी.एड.	सक्ती	27-06-2005	30-06-2010	27-06-2013	9300-34800+4300

5	श्रीमती विद्यालता जादिल्य	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. पुण्डी	बी.एड.	डभरा	23-06-2008	29-06-2010	23-06-2016	9300-34800+4300
6	श्रीमती सरला श्रीवास्तव	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. पोडीदलहा	बी.एड.	अकलतरा	07-08-2008	02-03-2009	07-08-2016	9300-34800+4300
7	श्री पप्पू कुमार	शि.(पं.)	शा.पू.मा.वि. मरघटी	डी.एड.	मालखरीदा	16-06-2010	21-06-2013	16-06-2018	9300-34800+4200
8	श्री नरेंद्र कुमार कुरे	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. सपिया	डी.एड.	मालखरीदा	15-07-2005	13-07-2011	15-07-2013	9300-34800+4300
9	श्री पुष्पा जायसवाल	शि.(पं.)	शा.पू.मा.शा. कल्याणपुर	बी.एड.	अकलतरा	19-02-2009	28-06-2010	19-02-2017	9300-34800+4200
10	श्रीमती नीरा सिंह	व्या.(पं.)	शा.हाईस्कूल चंगोरी	डी.एड.	अकलतरा	24-09-2005	28-02-2009	24-09-2013	9300-34800+4300
11	श्रीमती प्रवीण कुमार पाटनपाट	शि.(पं.)	शा.पू.मा.शा. सोनडीह	बी.एड.	अकलतरा	30-06-2005	07-08-2008	30-06-2013	9300-34800+4200
12	श्री सुरेश कुमार जाटवर	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. धुरतेली	बी.एड.	डभरा	10-02-2009	13-07-2011	10-02-2017	9300-34800+4300
13	श्री सदीप कुमार सिदार	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. धुरतेली	डी.एड.	डभरा	29-07-2006	18-09-2008	29-07-2014	9300-34800+4300
14	श्री फौज पीटर कुजुर	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. कांसा	बी.एड.	डभरा	10-10-2007	12-07-2011	10-10-2015	9300-34800+4300
15	श्रीमती सरोज सिदार	शि.(पं.)	शा.उ.मा.वि. कुसुमझर	डी.एड.	डभरा	01-05-2005	17-09-2008	01-05-2013	9300-34800+4200
16	श्री उमेशचंद बघेल	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. किराही	बी.एड.	डभरा	22-08-2007	04-10-2008	22-08-2015	9300-34800+4300
17	श्री विनोद कुमार कुरे	शि.(पं.) व्या.प्रा.	शा.उ.मा.वि. किराही	बी.एड.	डभरा	02-08-2008	30-06-2010	02-08-2016	9300-34800+4200
18	श्री प्रशांत कुमार राठीर	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. बिरहनी (च)	बी.एड.	बलीदा	22-01-2007	18-01-2011	22-01-2015	9300-34800+4300
19	श्री रमेश चन्द देवांगन	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. मडवा	बी.एड.	बलीदा	23-06-2005	05-08-2008	23-06-2015	9300-34800+4300
20	श्री दीपक कुमार यादव	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. मडवा	बी.एड.	बलीदा	11-09-2006	24-02-2009	11-09-2014	9300-34800+4300
21	श्री गणेश प्रसाद देवांगन	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. झोरला	बी.एड.	बलीदा	10-07-2007	02-03-2009	10-07-2015	9300-34800+4300
22	श्री विनय कुमार पाण्डेय	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. जवाई (ब)	बी.एड.	बलीदा	22-01-2007	04-08-2008	22-01-2015	9300-34800+4300
23	श्रीमती छतेश्वरी राठीर	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. पतौरा	बी.एड.	बलीदा	16-08-2007	24-07-2009	16-08-2015	9300-34800+4300
24	श्रीमती जयती राठीर	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. जायलपुर	बी.एड.	बलीदा	07-08-2008	18-01-2011	07-08-2016	9300-34800+4300
25	श्रीमती बंदिता जैवर्त्य	शि.(पं.)	शा.पू.मा.वि. पतौरा	डी.एड.	बलीदा	01-05-2005	22-08-2007	01-05-2013	9300-34800+4200
26	श्री किस्त राम कहार	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. आमलदुला	बी.एड.	मालखरीदा	02-03-2009	28-06-2010	02-03-2017	9300-34800+4300
27	श्री देवाशंकर देवांगन	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. फगुरम	बी.एड.	मालखरीदा	28-06-2010	17-01-2011	28-06-2018	9300-34800+4300
28	श्री जीवन लाल यादव	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. देवरी (सारगांध)	बी.एड.	बम्हनीडीह	05-07-2008	02-03-2009	05-07-2016	9300-34800+4300
29	अर्चना पाण्डेय	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. सरधानी	बी.एड.	बम्हनीडीह	25-06-2010	11-11-2011	25-06-2018	9300-34800+4300
30	श्री विनय कुमार राजे	व्या.(पं.)	शा.उ.मा.वि. इन्दीय	बी.एड.	जैजैपुर	20-06-2005	02-08-2008	20-06-2013	9300-34800+4300

31	श्री राम सनेही डहरिया	शि.(पं)	शा.पू.मा.वि छोटारबेली	बी.एड.	मालखरीदा	28-06-2010	19-08-2013	28-06-2018	9300-34800+4200
32	श्रीमती अनुपमा तिवारी	शि.(पं)	शा.पू.मा.वि कुरदा	बी.एड.	मालखरीदा	24-02-2009	17-01-2011	24-02-2017	9300-34800+4200
33	श्री कौशल प्रसाद खरे	व्या.(पं)	शा.हाईस्कूल रसोटा	अप्रशिक्षित	पामगढ़	05-11-2008	02-07-2010	05-01-2016	9300-34800+4300
34	श्री किराज एकता	व्या.(पं)	शा.हाईस्कूल बुन्देला	अप्रशिक्षित	पामगढ़	29-06-2010	01-03-2013	29-06-2018	9300-34800+4300
35	श्री देव कुमार कश्यप	व्या.(पं)	शा.उ.मा.वि. भोथिया	अप्रशिक्षित	जैजैपुर	29-09-2008	19-01-2011	26-09-2016	9300-34800+4300

1. यदि किसी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो अथवा निलंबित हो तो पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ की पात्रता नहीं होगी।
2. स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय बिलासपुर से सेवा पुस्तिका जांच उपरांत ही अन्तर राशि का भुगतान देय होगा।
3. उपरोक्त शिक्षक(पं) संवर्ग के कर्मचारियों का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों विकासखण्ड जैजैपुर, सक्ती, डभरा, अकलतरा, मालखरीदा, बलौदा, बम्हनीडीह व पामगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव एवं सेवा अभिलेख के आधार पर यह आदेश प्रसारित किया जा रहा है।

(अज्ञीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग)

जांजगीर,दिनांक / 07/2018

पू.क्र./1583 / जि.पं. / शिक्षा / स्था. / 2018

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव छ.ग.शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चांपा/सक्ती को सूचनार्थ।
7. उपसंचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर-चांपा को स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अग्रप्रेषित।
8. संभागीय अंकेक्षण कार्यालय जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. प्राचार्य शा.उ.मा.वि..... विकासखण्ड जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ।
12. संबंधित विकासखण्ड जिला को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत जांजगीर-चांपा (छ.ग)

:: आदेश ::

क्रमांक 1586 / जि.पं./ शिक्षा/ 2018

जांजगीर, दिनांक 16 / 07 / 2018

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/288/शिक्षा/जि.पं./स्था./2017 दिनांक 25.01.2017 द्वारा ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग जो बी.एड/डी.एड नहीं है एवं उनकी कुल सेवा अवधि 08 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान की पात्रता के संबंध में पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर से मार्गदर्शन चाहा गया था।

आयुक्त सह संचालक पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर ने पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/70 दिनांक 08.03.2017 द्वारा सूचित किया है कि सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को जब वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है और उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की जा सकती है तो उनकी सेवा 08 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में उन्हें शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।

इस जिले के निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग ने इस संबंध में मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में याचिकाएँ दायर की हैं। मान.उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरणों में दिनांक 03.11.2017 को यह निर्णय पारित किया है कि यदि संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की नियुक्ति 2007 भर्ती नियम के तहत हुई है और जो डी.एड/बी.एड नहीं है अगर उन्होंने 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है तो उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान की पात्रता है।

अतः मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का (वेतनमान रुपये 5300-150-8300) जिन्होंने 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं वे बी.एड/डी.एड उत्तीर्ण नहीं है, उन शिक्षक (पं.) संवर्ग के निम्न व्याख्याता (पं) को सारणी के कॉलम नम्बर 08 में दर्शित तिथि से समतुल्य वेतनमान रु. 9300-34800+4300 स्वीकृत किया जाता है।

पंचायत संचालनालय छ.ग. नया रायपुर द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के नॉन बी.एड (अप्रशिक्षित) शिक्षक पंचायत एवं व्याख्याता पंचायत कर्मचारियों के निम्न पद से उच्च पद पर वह समान से समान पद पर नियुक्त होने पर समतुल्य वेतनमान पर लाभ दिये जाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 4271/2017 एवं अन्य विभिन्न प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की विरुद्ध छ.ग. शासन विधि विभाग की अनुमति से राज्य शासन द्वारा डी.बी में अपील किया गया है। प्रकरण द्वितीय अपील के न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।


क्र.	याचिकाकर्ता का नाम	पदनाम	पदस्थापना का स्थान	विकासखण्ड का नाम	नियुक्ति तिथि	कार्यभार ग्रहण करने तिथि	08 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने की तिथि	स्वीकृत वेतनमान	समतुल्य
01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	श्री लक्ष्मीनारायण धुव	व्या (पं)	शा.उ.मा.वि खैरा	सक्ती	29.09.08	10.10.08	10.10.2016	9300-34800+4300	
02	श्री चंद्रभूषण देवांगन	व्या (पं)	शा.उ.मा.वि खैरा	सक्ती	29.05.09	06.06.09	06.06.2017	9300-34800+4300	
03	श्री जगमोहन राठौर	व्या (पं)	शा.उ.मा.वि खैरा	सक्ती	02.08.08	08.08.08	08.08.2016	9300-34800+4300	
04	श्री द्वारिका प्रसाद पटेल	व्या (पं)	शा.उ.मा.वि बंदोरा	मालखरीदा	17.07.08	28.07.08	28.07.2016	9300-34800+4300	

पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण 08 (आठ) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की अवधि को आधार मानकर किया गया है। इन्हें प्रत्येक वर्ष जुलाई में वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जायेगी।

(अजीत वसंत) I.A.S.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, पंचायत संचालनालय, महानदी खण्ड परिसर रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक जिला सक्ती जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर को सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ।
07. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिक्षक (पं.) का वेतन निर्धारण करके पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा इसका पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें।
पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण एवं भुगतान के समय संबंधित शिक्षक (पं.) संवर्ग से वचन पत्र (Undertaking) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
08. संबंधित श्री/ श्रीमती को सूचनार्थ/ पालनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

--: आदेश :-

क्रं./1594/जि.पं./स्था./शिक्षा/समयमान वेतनमान/2018 जांजगीर, दिनांक 17/07/2018
छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर के आदेश क्रमांक/पंचा/पंचाविवि/2012/3597/रायपुर दिनांक 01.05.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नवागढ़/सक्ती/जैजैपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी, जो स्नातकोत्तर है एवं वर्तमान पद पर निरंतर सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर निम्न व्याख्याता (पं.) को वेतनमान 5300-150-8300 के स्थान पर सारणी के कॉलम नं. 08 में दर्शित तिथि से समयमान-वेतनमान रुपये 7000-200-30000, अध्यापन भत्ता 4500.00 एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	व्याख्याता पंचायत का नाम	पदस्थ शाला का नाम	नियुक्ति तिथि	कार्यनार ग्रहण तिथि	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने की तिथि	स्वीकृत समयमान वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नवागढ़								
01	श्रीमती आरम्बा सिंह	शा. हाईस्कूल घुठिया	01.10.2010	08.10.2010	एम.एस.सी	बी.एड	08.10.2017	7000-200-30000
सक्ती								
01	श्री मनोहर लाल पटेल	शा.उ.मा.वि जुडगा	16.07.2010	16.07.2010	एम.ए	बी.एड	16.07.2017	7000-200-30000
जैजैपुर								
01	श्री गणेशराम खुटे	शा.उ.मा.वि जमडी	23.06.2010	26.06.2010	एम.ए	बी.एड	26.06.2017	7000-200-30000

(अज्ञीत वसंत)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा
जांजगीर, दिनांक 17/7/2018

पु.क्रं./1595/जि.पं./स्था./शिक्षा/स.वे./2018

प्रतिलिपि :-

- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डा.क. कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- संचालक, पंचायत संचालनालय, महानदी खण्ड परिसर रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर/शैक्षणिक जिला सक्ती जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संबंधित प्राचार्य, शा.उ.मा.वि/शा.हाईस्कूल द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- संबंधित श्री/श्रीमती/शु. शिक्षक (पंचायत) द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक 1592 / जि.पं./ शिक्षा / 2018

जांजगीर, दिनांक 16/07/2018

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/288/शिक्षा/जि.पं./स्था./2017 दिनांक 25.01.2017 द्वारा ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग जो बी.एड/डी.एड नहीं है एवं उनकी कुल सेवा अवधि 08 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान की पात्रता के संबंध में पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर से मार्गदर्शन चाहा गया था।

आयुक्त सह संचालक पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर ने पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/70 दिनांक 08.03.2017 द्वारा सूचित किया है कि सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को जब वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है और उनकी परीक्षा अवधि समाप्त नहीं की जा सकती है तो उनकी सेवा 08 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में उन्हें शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।

इस जिले के निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग ने इस संबंध में मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में याचिका दायर की है। मान.उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरणों में दिनांक 03.11.2017 को यह निर्णय पारित किया है कि यदि संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की नियुक्ति 2007 भर्ती नियम के तहत हुई है और जो डी.एड/बी.एड नहीं है अगर उन्होंने 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है तो उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान की पात्रता है।

अतः मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का (वेतनमान रुपये 4500-125-7000) जिन्होंने 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं वे बी.एड/डी.एड उत्तीर्ण नहीं है, उन शिक्षक (पं.) संवर्ग के निम्न शिक्षक (पं) को सारणी के कॉलम नम्बर 08 में दर्शित तिथि से समतुल्य वेतनमान रु. 9300-34800+4200 स्वीकृत किया जाता है।

पंचायत संचालनालय छ.ग. नया रायपुर द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के नॉन बी.एड (अप्रशिक्षित) शिक्षक पंचायत एवं व्याख्याता पंचायत कर्मचारियों के निम्न पद से उच्च पद पर वह समान से समान पद पर नियुक्त होने पर समतुल्य वेतनमान पर लाभ दिये जाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 4271/2017 एवं अन्य विभिन्न प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की विरुद्ध छ.ग. शासन विधि विभाग की अनुमति से राज्य शासन द्वारा डी.बी में अपील किया गया है। प्रकरण द्वितीय अपील के न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।


क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	पदनाम	पदस्थापना का स्थान	विकासखण्ड का नाम	नियुक्ति तिथि	कार्यभार ग्रहण करने तिथि	08 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने की तिथि	स्वीकृत वेतनमान	समतुल्य
01	02	03	04	05		06	07	08	09	
01	863/2018	श्री दयावत रात्रे	शि (पं)	शा.पू.मा.वि कंकराभाठ	जैजैपुर	13.09.08	19.09.08	19.09.2016	9300-34800+4200	

पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण 08 (आठ) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की अवधि को आधार मानकर किया गया है। इन्हें प्रत्येक वर्ष जुलाई में वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जायेगी।

(अजीत बसंत) L.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, पंचायत संचालनालय, महानदी खण्ड परिसर रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर/शैक्षणिक जिला सक्ती जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर को सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ।
07. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिक्षक (पं.) का वेतन निर्धारण करके पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा इसका पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें।
पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण एवं भुगतान के समय संबंधित शिक्षक (पं.) संवर्ग से वचन पत्र (Undertaking) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
08. संबंधित श्री/श्रीमती को सूचनार्थ/पालनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक 1590 / जि.पं./ शिक्षा / 2018

जांजगीर, दिनांक 16/07/2018

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/288/शिक्षा/जि.पं./स्था./2017 दिनांक 25.01.2017 द्वारा ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग जो बी.एड/डी.एड नहीं है एवं उनकी कुल सेवा अवधि 07 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को समयमान-वेतनमान की पात्रता के संबंध में पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर से मार्गदर्शन चाहा गया था।

आयुक्त सह संचालक पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर ने पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/70 दिनांक 08.03.2017 द्वारा सूचित किया है कि सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को जब वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है और उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की जा सकती है तो उनकी सेवा 07 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में उन्हें समयमान-वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।

इस जिले के निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग ने इस संबंध में मान.उच्च न्यायालय छ. ग. बिलासपुर में याचिकाएँ दायर की हैं। मान.उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरणों में दिनांक 03.11.2017 को यह निर्णय पारित किया है कि यदि संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की नियुक्ति 2007 भर्ती नियम के तहत हुई है और जो डी.एड/बी.एड नहीं है अगर उन्होंने 07 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है तो उन्हें समयमान/पुनरीक्षित वेतनमान की पात्रता है।

अतः मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) (वेतनमान रुपये 4500-125-7000 जिन्होंने 07 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं वे बी.एड/डी.एड उत्तीर्ण नहीं हैं, उन शिक्षक (पं.) संवर्ग के निम्न शिक्षक (पं) को सारणी के कॉलम नम्बर 08 में दर्शित तिथि से समयमान वेतनमान रु. 6000-175-25000, अध्यापन भत्ता 3500.00 एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पंचायत संचालनालय छ.ग. नया रायपुर द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के नॉन बी.एड (अप्रशिक्षित) शिक्षक पंचायत एवं व्याख्याता पंचायत कर्मचारियों के निम्न पद से उच्च पद पर वह समान से समान पद पर नियुक्त होने पर समतुल्य वेतनमान पर लाभ दिये जाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 4271/2017 एवं अन्य विभिन्न प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की विरुद्ध छ.ग. शासन विधि विभाग की अनुमति से राज्य शासन द्वारा डी.बी में अपील किया गया है। प्रकरण द्वितीय अपील के न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	का पदनाम	दिकासंस्थान का नाम	पदस्थापना का स्थान	नियुक्ति तिथि	कार्यभार ग्रहण करने तिथि	07 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने की तिथि	स्वीकृत समयमान वेतनमान
01	02	03	04		05	06	07	08	09
01	863/2018	श्री दशवंत रात्रे	शि. (पं)	जैजैपुर	शा.पु.सा.वि कंकरागाठ	13.09.08	19.09.08	19.09.2015	6000-175-25000
02	3410/2018	श्रीमती सरिता सिंघार	शि. (पं)	मालखरीवा	शा.पु.सा.वि पोता	13.09.08	20.09.08	20.09.2015	6000-175-25000

पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण 07 (सात) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की अवधि को आधार मानकर किया गया है।

(अजीत वसंत) I.A.S
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, पंचायत संचालनालय, महानदी खण्ड परिसर रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक जिला सक्ती जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर को सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ।
07. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिक्षक (पं.) का वेतन निर्धारण करके पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा इसका पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें। पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण एवं भुगतान के समय संबंधित शिक्षक (पं.) संवर्ग से वचन पत्र (Undertaking) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
08. संबंधित श्री/श्रीमती को सूचनार्थ/पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक 1588 / जि.पं./ शिक्षा / 2018

जांजगीर, दिनांक 16/07/2018

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/288/शिक्षा/जि.पं./स्था./2017 दिनांक 25.01.2017 द्वारा ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग जो बी.एड/डी.एड नहीं है एवं उनकी कुल सेवा अवधि 07 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को समयमान-वेतनमान की पात्रता के संबंध में पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर से मार्गदर्शन चाहा गया था।

आयुक्त सह संचालक पंचायत संचालनालय छ.ग. रायपुर ने पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/70 दिनांक 08.03.2017 द्वारा सूचित किया है कि सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग को जब वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है और उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की जा सकती है तो उनकी सेवा 07 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में उन्हें समयमान-वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।

इस जिले के निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग ने इस संबंध में मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में याचिकाएँ दायर की हैं। मान.उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरणों में दिनांक 03.11.2017 को यह निर्णय पारित किया है कि यदि संबंधित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की नियुक्ति 2007 भर्ती नियम के तहत हुई है और जो डी.एड/बी.एड नहीं है अगर उन्होंने 07 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है तो उन्हें समयमान/पुनरीक्षित वेतनमान की पात्रता है।

अतः मान.उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित शिक्षक (पंचायत) (वेतनमान रुपये 5300-150-8300 जिन्होंने 07 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं वे बी.एड/डी.एड उत्तीर्ण नहीं है, उन शिक्षक (पं.) संवर्ग के निम्न व्याख्याता (पं) को सारणी के कॉलम नम्बर 08 में दर्शित तिथि से समयमान वेतनमान रु. 7000-200-30000, अध्यापन भत्ता 4500.00 एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

पंचायत संचालनालय छ.ग. नया रायपुर द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के नॉन बी.एड (अप्रशिक्षित) शिक्षक पंचायत एवं व्याख्याता पंचायत कर्मचारियों के निम्न पद से उच्च पद पर वह समान से समान पद पर नियुक्त होने पर समतुल्य वेतनमान पर लाभ दिये जाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 4271/2017 एवं अन्य विभिन्न प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की विरुद्ध छ.ग. शासन विधि विभाग की अनुमति से राज्य शासन द्वारा डी.बी में अपील किया गया है। प्रकरण द्वितीय अपील के न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता नाम	का	पदनाम	विकासखण्ड का नाम	पदस्थापना का स्थान	नियुक्ति तिथि	कार्यभार ग्रहण करने तिथि	07 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने की तिथि	स्वीकृत समयमान वेतनमान
01	02	03	04	05	06	07	08	09		
01	1495/2017	श्री प्रकाश चंद्र शत्रे	व्या. (पं)	जेजैपुर	शा.उ.मा.वि किकिरवा		26.02.09	26.02.09	26.02.2016	7000-200-30000
02	1660/2017	श्री सुषमा देवांगन	व्या. (पं)	जेजैपुर	शा.उ.मा.वि ओडेकंधा		26.02.09	26.02.09	26.02.2016	7000-200-30000
03	2175/2018	श्री अरुण कुमार कश्यप	व्या (पं)	नयागढ़	शा.उ.मा.वि सलखन		26.02.09	26.02.09	26.02.2016	7000-200-30000
04	635/2018	श्री छविदाम घट्ट	व्या (पं)	गालखरीवा	शा.उ.मा.वि आदिल		29.09.10	06.10.10	06.10.2017	7000-200-30000

पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण 07 (सात) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की अवधि को आधार मानकर किया गया है।


(अजीत वसंत) I.A.S.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा

पु.क्रं. / 1589 / जि.पं. / शिक्षा / 2018
प्रतिलिपि :-

जांजगीर, दिनांक 16/07/2018

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, पंचायत संचालनालय, महानदी खण्ड परिसर रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला शिक्षा अधिकारी / जांजगीर / शैक्षणिक जिला सक्ती जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर को सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ।
07. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिक्षक (पं.) का वेतन निर्धारण करके पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा इसका पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें। पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण एवं भुगतान के समय संबंधित शिक्षक (पं.) संवर्ग से वचन पत्र (Undertaking) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
08. संबंधित श्री/श्रीमती को सूचनार्थ/पालनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)